

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 507
सदस्य का नाम - श्री वीरेन्द्र रघुवंशी
सदन में उत्तर देने की तिथि - 29.12.2020

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के उपार्जन केन्द्रों पर वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में चना, उड़द सहित अन्य फसलों के भुगतान हेतु शेष रहे कृषकों की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	विपणन वर्ष	जिस का नाम	वर्तमान में भुगतान हेतु शेष कृषक संख्या	राशि	उत्तरदायी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	भुगतान न होने का कारण
1	पैक्स खरेह	2018-19	चना	5	640200.00	संतोष शर्मा (सहायक)	सेवा पृथक, FAR दर्ज, धारा उच्च न्यायालय बेंच ग्वालियर में प्रकरण क्र./ WP /4990/ 19 में स्टे	प्रश्न सं. [क. 507] संस्था पर शोर्टज होने के कारण
			योग	5	640200.00			
2	पैक्स पीरोठ	2018-19	चना	7	460012.50	उदयभान सिंह (सहायक)	सेवा पृथक, उप पंजीयक न्यायालय शिवपुरी में धारा 58 (बी) प्रकरण दर्ज, आर्बीट्रेशन क्र. 261 दिनांक 12-06-2019 से मार्कफेड में प्रकरण दर्ज	संस्था पर शोर्टज होने के कारण ।
			मसूर	3	109278.00			
			योग	10	569290.50			
3	पैक्स अटलपुर	2018-19	चना	15	375100.00	राजेश शर्मा (सहायक)	सहायक की मृत्यु हो चुकी है, माननीय उच्च न्यायालय बेंच ग्वालियर से प्रकरण क्र. WP / 26265 / 18 पर प्रकरण दायर कर स्टे	संस्था पर शोर्टज होने के कारण । संस्था कमीशन से कृषको का 50% भुगतान किया जा चुका है । 50% भुगतान ही शेष है ।
			मसूर	1	35062.50			
			सरसों	1	23000.00			
			योग	17	433162.50			
			महायोग	32	1642653.00			

संस्था का नाम	विपणन वर्ष	जिस का नाम	वर्तमान में भुगतान हेतु शेष कृषक संख्या	राशि	उत्तरदायी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	भुगतान न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
4 पैक्स राई	2018-19	उड़द	56	2446940.00	बृजेश पाठक (सहायक)	निलंबित, थाना कोलारस में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया, धारा 64 एवं 58 (बी) में उप पंजीयक कार्यालय शिवपुरी में वसूली हेतु वाद दायर	संस्था पर शॉर्टेज होने के कारण
5 पैक्स लुकवासा	2019-20	महायोग	56	2446940.00	विजयराज रघुवंशी (सहायक)	निलंबित, धारा 64 में वसूली हेतु वाद दायर	संस्था पर शॉर्टेज होने के कारण
		चना	23	2203740.00			
		मसूर	2	129775.00			
		सरसों	1	98700.00			
		योग	26	2432215.00			
6 पैक्स बैहटा	2019-20	चना	12	2543310.00	लक्ष्मण रावत (सहायक)	सेवा पृथक, थाना कोलारस में एफ.आई.दर्ज, धारा 58(बी) के तहत 206.00 लाख की डिग्री प्राप्त, वसूली अधिकारी द्वारा कार्यवाही जारी	अमानक जिस की ई-नीलामी की गयी। ई-नीलामी की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। ई-नीलामी के उपरांत कृषकों की भूमि का भौतिक सत्यापन कराया गया। उनमें से कुल 12 कृषकों (चना-12, मसूर -5 एवं सरसों -4) की स्वयं की भूमि न होना बताया है।
		मसूर	5	812212.00			
		सरसों	4	735000.00			
		योग	21	4090522.00			
		महायोग	47	6522737.00			
7 कोलारस केंद्र मंडी कोलारस	2020-21	चना	8	2889851.00	हर्षवर्धन (प्रशासक), शिशिर जादौन (सहायक)	निलंबित, एफ.आई.आर. दर्ज,	8 कृषकों की राशि 28.89 लाख के भुगतान की कार्यवाही जारी है।
		चना (एस.डी.एम. जॉच)	15	5979187.00			

संस्था का नाम	विपणन वर्ष	जिस का नाम	वर्तमान में भुगतान हेतु शेष कृषक संख्या	राशि	उत्तरदायी कर्मचारी का नाम एवं पद	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	भुगतान न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
8	कोलारस केंद्र खरई मंडी	2020-21	चना चना (एस.डी.एम. जॉंच)	1 12	726375.00 3002997.00	हर्षवर्धन (प्रशासक), शिशिर जादौन (सहायक)	निलंबित, एफ.आई.आर. दर्ज, 1 कृषक की राशि 7.26 लाख के भुगतान की कार्यवाही जारी है। 12 कृषकों का भुगतान संस्था पर शॉर्टेज होने के कारण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की जॉंच में पंजीयन फर्जी एवं फर्जी स्कन्ध की प्रविष्टि पाए जाने से जिला उपाजर्जन समिति में लिए गये निर्णयानुसार भुगतान नहीं किया जाना है।
			योग	36	12598410.00		
	महायोग			171	23210740.00		

टीप:- वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 58(बी) एवं धारा 64 में वाद दायर किये गये हैं, एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। दोषियों से राशि वसूली के पश्चात् कृषकों को भुगतान हो सकेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वर्ष 2020-21 में चना, मसूर, सरसों अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोलारस की जॉंच में फर्जी पंजीयन / खरीदी पाए जाने के कारण जिला उपाजर्जन कमेटी में लिए गये निर्णयानुसार कुल 27 कृषकों का भुगतान नहीं किया जाना है। संस्था कोलारस के 9 कृषकों की भुगतान की कार्यवाही जारी है।


संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.


अनुसर अधिकारी
राज्य उद्योग विभाग,
इंटरकाउन्सिल बिल्डिंग